भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 11

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना (एसएएससीआई)

11.

श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री बलभद्र माझीः
श्री नलिन सोरेनः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री आशीष दुबेः
श्री बिप्लब कुमार देबः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री गोडम नागेशः
श्री काली चरण सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री दिलीप शइकीयाः

श्री जनार्दन मिश्राः
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) का उद्देश्य, संरचना, ढांचा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या इस योजना में कोई सुधार से जुड़े घटक शामिल हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित इसके अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान झारखंड, ओडिशा, विशेष रूप से नवरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी जिलों में इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं अथवा कार्यान्वित की गई हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार, परियोजना-वार और निधि-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) त्रिपुरा में इस योजना के अंतर्गत सृजित की गई दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है जिसमें महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्रों का विकास शामिल है:

(ङ) क्या झारखंड ने इस योजना के अंतर्गत किसी सुधार से जुड़े घटक को लागू किया है, यदि हां, तो राज्य द्वारा किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है और ऐसे सुधारों के कारण कितने प्रोत्साहन/निधियां प्राप्त हुई हैं;

(च) राजस्थान के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत ओडिशा के नवरंगपुर सहित राजस्थान और आकांक्षी जिलों के लिए अतिरिक्त महायता प्रदान करने या नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या इस योजना में असम सहित पूर्वोत्तर और पिछड़े राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): वर्ष 2020-21 से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहयता (एसएएससीआई) योजना क्रियांवित कर रहा है। इस योजना के तहत, पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 से, विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को भी एसएएससीआई के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उदेश्य पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की सहायता करना है।

जी हां, इस योजना मे सुधार से जुड़े घटक शामिल हैं। वर्ष 2026-27 में, एसएएससीआई में भाग-1 (शर्त रहित), भाग II (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा) और निम्नलिखित सुधार - आधारित भागों सहित 12 भाग शामिल हैं:

(i) **भाग III**: पूंजीगत व्यय के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतू प्रोत्साहन

(ii) **भाग IV**: राज्यों में कोई लोक वित्त आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना

(iii) **भाग V**: खनन क्षेत्र में सुधार

(iv) **भाग VI**: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मार्ग का अधिकार नियमावली, 2024 कार्यान्वयन

(v) **भाग VII**: कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना - एग्रीस्टैक

(vi) **भाग VIII**: पशुधन क्षेत्र में सुधार

(vii) **भाग IX**: वित्तीय प्रबंधन में दक्षता

(viii) **भाग X**: राजकोषीय अनुशासन और राजकोषीय समेकन

(ix) **भाग XI**: कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) क्षेत्र मे सुधार

(ख) इस योजना की शुरूआत से अब तक इस योजना के अंर्तगत ओडिशा, झारखण्ड, त्रिपुरा, राजस्थान, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-1** मे संलग्न है।

(ग) जी हां, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एसएएससीआई के तहत परियोजनाएं स्वीकृत/कार्यान्वित की गई हैं। वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एसएएससीआई के तहत क्रमश: कुल 798, 653,1961 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

ओडिशा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, नबरंगपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एसएएससीआई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	आवंटित राशि (रु. करोड़ में)
2023-24	2	125.81
2024-25	6	175.69
2025-26	21	187.48

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ के महासमुंद, गरियाबन्द और धमतरी जिलों में एससीएससीआई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

जिला	परियोजनाओं की संख्या	आवंटित राशि (रु. करोड़ में)

महासमुंद	10	54.72
गरियाबंद	7	60.18
धमतरी	15	104.64

(घ) वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक एसएएससीआई के तहत त्रिपुरा राज्य के लिए कुल 1561 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, एसएएससीआई 2024-25 के भाग III (प्रतिष्ठित पर्यटन केन्द्र का विकास) के तहत त्रिपुरा के लिए बंडुआर, गोमती में 51 शक्ति पीठ पार्क के विकास के लिए 97.70 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

(ङ) जी हां, झारखंड ने इस योजना के तहत कुछ सुधार से जुड़े घटक लागू किए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**एसएएससीआई के तहत भाग**	**सुधार**	**झारखंड राज्य से प्राप्त प्रोत्साहन (करोड़ रु. में)**
2025-26	X	शहरी नियोजन सुधार	55
2024-25	V	औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना	200
	VII	भूमि सुधार	96.94
	XI	एसएनए स्पर्श लागू करना	250
	XIII	शहरी नियोजन सुधार	15
2023-24	IV	यूएलबी में वित्तीय सुधार	125
	II	पुराने वाहनों को स्क्रेप करने के लिए प्रोत्साहन	6.70
2022-23	II	राज्य में पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश	165.00
	IV	नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन	69.32
	V	ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क को बढ़ाना	84.00

(च.) एसएएससीआई 2026-27 के भाग I और II के तहत राजस्थान राज्य के लिए क्रमश: 3970 करोड़ रु. और 567 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। एसएएससीआई के तहत किसी राज्य को प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा, एसएएससीआई दिशा निर्देशों के तहत यथा निर्धारित आवंटित राशि और राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर आधारित होती है। राजस्थान और ओड़िशा सहित राज्य

एसएएससीआई के तहत ओड़िशा के नबरंगपुर सहित अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(छ) एसएएससीआई के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अतिरिक्त आवंटन के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था जिसके अंतर्गत असम और पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को एसएएससीआई 2025-26 के तहत आवंटित राशि का 100 प्रतिशत तक का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया गया था। पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए प्रतिशत प्रावधान अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था जिनके लिए निर्धारित अतिरिक्त आवंटन भाग -I के तहत आवंटित राशि का 50 प्रतिशत तक था।

इसके अतिरिक्त एसएएससीआई के तहत, 9 पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए भाग X (पर्वतों का गौरव) के तहत विशेष रूप से 25,000 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

सोमवार, 20 जुलाई,2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 11 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध I

(रु. करोड़ में)

वर्ष 2020-21,2021-22,2022-23,2023-24,2024-25,2025-26 और 2026-27 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी राशि

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (15.07.2026 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	688.00	501.79	6105.56	4090.81	7901.56	8289.61	2131.14
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1564.10	2363.42	2470.96	1959.05	0.00
3	असम	450.00	600.00	4300.14	5804.43	7427.50	8763.90	2454.16
4	बिहार	843.00	1246.50	8455.85	8814.80	14791.32	7199.80	0.00
5	छतीसगढ़	286.00	423.00	2941.97	3365.25	6103.57	7440.86	1669.80
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	695.20	1266.54	2078.99	311.14
7	गुजरात	285.00	432.00	4045.82	4254.32	5958.26	7106.97	2023.26
8	हरियाणा	91.00	135.00	1267.00	1702.05	1458.56	922.47	601.92
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	1515.97	2381.37	3385.04	2645.28

10	झारखंड	277.00	246.00	2964.32	4580.61	2718.32	1655.05	0.00
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3399.35	3879.24	5296.12	4741.62	2087.58
12	केरल	81.50	238.50	1902.74	0.00	2715.67	2629.06	52.72
13	मध्य प्रदेश	1320.00	1512.36	7360.20	12636.21	12424.92	13533.11	3780.26
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6744.16	5376.31	8063.08	11367.23	49.66
15	मणिपुर	317.16	212.85	467.22	542.70	1436.82	871.55	21.44
16	मेघालय	200.00	281.20	1049.02	1293.06	2369.63	2332.60	1879.64
17	मिजोरम	200.00	299.99	297.50	743.28	1361.09	1510.75	0.00
18	नागालैण्ड	200.00	300.00	504.16	973.20	1599.73	1266.05	2803.68
19	ओडिशा	471.50	517.12	75.00	3532.14	6943.55	3606.48	0.00
20	पंजाब	296.50	223.50	798.22	0.00	2269.31	3891.06	900.58
21	राजस्थान	1002.00	692.41	5595.64	8513.42	9139.21	10547.88	2719.59
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	797.85	1742.14	1393.69	710.82
23	तमिलनाडु	0.00	505.50	4011.27	5326.42	7345.86	8666.08	2070.42
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2500.98	1948.34	2727.24	4208.83	1767.90
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	662.92	1586.68	2448.43	2310.22
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1483.00	7940.50	19215.08	17223.82	14646.97	7816.19
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1124.01	1911.71	2455.84	2071.00	2807.17
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3655.92	5015.58	10305.06	5465.90	0.00
29	दिल्ली	-	-	-	-	-	542.03	929.33
30	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	5166.466	0.00
31	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	291.50	0.00
कुल		**11830.29**	**14185.78**	**81195.35**	**109554.30**	**149483.73**	**150000.00**	**44543.89**